कार्यकारी सार

I. प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा मंत्रालयों/विभागों और उनके केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के खातों और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरुप पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

2. प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों से संबंधित 24 पृथक-पृथक अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। मसौदा अभ्युक्तियों पर संबंधित मंत्रालयों को छः सप्ताह की अवधि के अंदर प्रत्येक मामले में अपने जवाब/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। आठ अभ्युक्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जबकि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों और उनके केन्द्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं:-

क्रम संख्या	**मंत्रालय/विभाग**	**पैराग्राफ की संख्या**	**पैराग्राफ की संख्या जिसके संबंध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था**
1.	रसायन एवं उर्वरक	1	0
2.	कॉर्पोरेट कार्य	1	0
3.	आवासन और शहरी कार्य	12	7
4.	विद्युत	1	0
5.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	1	0
6.	पोत परिवहन	6	1
7.	पर्यटन	2	0
	कुल	**24**	**8**

II. प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफ की मुख्य विशेषताएं/आकर्षण निम्नलिखित हैं:-

मार्च 2019 तक छः नए नाइपरस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) का गठन नहीं किया गया था और संचालन समिति बीओजी के कार्यों का निर्वहन कर रही थी। नाइपर मोहाली में बीओजी का गठन दो साल की देरी से किया गया था। एक समर्पित शासी निकाय, स्थायी शैक्षणिक कर्मचारियों और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, संस्थान देश में महत्वपूर्ण तरीके से फार्मास्यूटिकल शिक्षा को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहें हैं।

इससे शोध पत्र प्रकाशित करने, पेटेंट प्रदान करने और विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के रूप में प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संस्थानों को बड़े पैमाने पर मंत्रालय से अनुदान द्वारा वित्तपोषित किया गया था और खर्च का बहुत कम हिस्सा उनके स्वयं के राजस्व के माध्यम से पूरा किया जाता था।

(पैरा 2.1)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की स्थापना (28 मार्च 1985) को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 (अधिनियम) के तहत की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एक समन्वित योजना क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश (यूपी) और राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों के कई जिले शामिल हैं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि क्षेत्रीय योजना (आरपी) 2021 को अधिसूचित करने में साढ़े तीन साल से अधिक की देरी हुई और आरपी 2021 की पहली समीक्षा डेढ़ साल की देरी के बाद शुरू की गई। एनसीआर घटक क्षेत्रों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण में देरी हुई, कार्यात्मक योजनाएं नहीं बनाई गई और एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के निरूपण में देरी हुई। यह देखा गया कि बोर्ड भागीदार राज्यों द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान की मंजूरी नहीं दे रहा था और एनसीआर में भाग लेने वाले संबंधित राज्य द्वारा उस राज्य में संबंधित कानूनों के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जा रहा था और बोर्ड द्वारा नहीं। वहाँ विभिन्न स्तरों पर आरपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय और निगरानी अपर्याप्त थी।

(पैरा 4.1)

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी (बीईई) का स्टार रेटिंग लेबल उपस्करों और उपकरणों (उत्पादों) के मॉडल की उर्जा दक्षता के लिए एक विश्वसनीय सरकार समर्थित प्रतीक है जो उपभोक्ताओं को पैसे और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीईई ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया था क्योंकि 2012 से 2018 के दौरान पंजीकृत मॉडलों का नगण्य जाँच परीक्षण (0.16 प्रतिशत) किया गया था। पहले जाँच परीक्षण में 63 प्रतिशत मॉडल विफल रहे और मॉडल और उपकरणों का नाम ऊर्जा संरक्षण एक्ट में प्रावधान न होने के कारण प्रकाशित नहीं किया गया था। वर्ष 2013-14 और 2017-18 में विफल रहे मॉडलों में दिसंबर 2018 तक ₹2,238 करोड़ के अनुमानित बाजार मूल्य पर 4,16,503 रूम एयर कंडीशनरों (रूम एसी) और 3,93,678 फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरों (एफएफआर) का विपणन परमिटधारियों द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीईई ने तीन उपकरणों (रूम एसी कैसेट सहित फ्लोर स्टैडिंग, डीसीआर और एफएफआर) के संबंध में 23,624.96 एमयू (61.50 प्रतिशत के बराबर) अतिरिक्त ऊर्जा बचत की गणना की जिसका कि पांच वर्षो अर्थात 2012 से 2017 की कुल उर्जा बचत में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान था। स्टार लेबल सत्यापन भी नहीं किये गए और बाजार में गैर-अनुपालन करने वाले मॉडल्स नहीं बेचे जाने को सुनिश्चित करने वाली क्यूआर कोड तकनीक भी बीईई द्वारा कार्यान्वित नहीं की गई।

(पैरा 5.1)

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) ने विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कार्गो बर्थ के विकास के लिए तीन निजी दलों (रियायतग्राहियों) के साथ रियायत करार किया (जून 2010 से अगस्त 2010)। मॉडल रियायत करार के अनुसार, यदि परियोजना के निष्पादन मानकों, जैसे सकल बर्थ आउटपुट, टर्न अराउंड समय आदि को पूरा नहीं किया गया तो परिनिर्धारित नुकसान लिया जाना था। वीपीटी ने निष्पादन मानकों पर महीने-वार सूचना एकत्रित नहीं की तथा रियायतग्राहियों से कम निष्पादन हेतु कोई परिनिर्धारित नुकसान नहीं लिया। लेखापरीक्षा ने सकल बर्थ आउटपुट के संदर्भ में निष्पादन का मूल्यांकन किया तथा 2013-14 से 2017-18 तक तीनों रियायतग्राहियों से ₹21.67 करोड़ के परिनिर्धारित नुकसान की गणना की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जून 2018) पर वीपीटी ने निष्पादन मानकों का मूल्यांकन शुरू किया

(नवंबर/दिसंबर 2018/फरवरी 2019) तथा ₹25.30 करोड़ की राशि के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली के लिए रियायतग्राहियों को माँग सूचना पत्र जारी किया।

(पैरा 7.2)

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू), विशाखापत्तनम ने योजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) के आधार पर विशाखापत्तनम में ₹54.21 करोड़ की लागत वाले अपने नए परिसर के निर्माण की मंजूरी एनबीसीसी को प्रदान की। ₹27.06 करोड़ के जमा/अग्रिम करने के बाद, कार्य की धीमी प्रगति के कारण आईएमयू द्वारा परियोजना को समाप्त कर दिया गया था। एनबीसीसी के साथ निपटान के हिस्से के रूप में व्यय ₹5.95 करोड़ घटाया गया तथा शेष ₹21.11 करोड़ एनबीसीसी द्वारा वापस किए गए कटौती की गई राशि में ठेका राशि ₹54.21 करोड़ के सात प्रतिशत की दर से पीएमसी के ₹4.12 करोड़ तथा उस पर सेवा कर शामिल थे। तथापि, करार के अनुसार, वास्तविक कार्य की लागत पर पीएमसी शुल्क लगाया जाना था। वास्तविक किए गए कार्य की लागत के आधार पर पीएमसी शुल्क केवल ₹0.15 करोड़ था। इस प्रकार, ₹3.97 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैरा 7.4)

नौ राज्यों में प्रत्येक में निरीक्षण और प्रमाणन (आईएडंसी) केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना (11वीं पंचवर्षीय योजना/अगस्त 2009) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा पायलट आधार पर इन-सर्विस परिवहन वाहनों की सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकरण आपूर्तिकर्ता का चयन करने में देरी, खराब योजना और अप्रभावी निगरानी के कारण अगस्त 2009 से अभी तक (सितंबर 2019) योजनाबद्ध आईएडंसी केन्द्रों की विलम्बित पूर्णता/गैर-संचालन का कारण बनी। नतीजतन योजना को लागू करने का उद्देश्य यानि एक प्रभावी वाहन निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन, सड़क की स्थिति में सुधार और बाकी राज्यों में इस तरह के आदर्श आईएडंसी केन्द्रों को प्रतिरुपित करने को अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं किया जा सका।

(पैरा 6.1)

भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड के कर्मचारियों ने दस्तावेजों की जालसाजी तथा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके एलटीसी दावों में उनके द्वारा भुगतान की गई राशि से उच्चतर राशि का दावा किया जिसके कारण 87 कर्मचारियों के ₹56.98 लाख की गैर-हकदार राशि की प्रतिपूर्ति का मामला लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् 87 मामलों में से 64 कर्मचारियों से ₹55.59 लाख (₹13.19 लाख दंडात्मक ब्याज सहित) की राशि की वसूली की गई। आगे, लेखापरीक्षा के परामर्श पर पाँच भारत सरकार प्रेसों में कार्य करने वाले 143 कर्मचारियों के एलटीसी के दावों को पुनः सत्यापित करने के पश्चात् विभाग द्वारा ₹1.01 करोड़ की वसूली की गई।

(पैरा 4.7)